

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 48/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री मैथी देवी पत्नी हजारी लाल बलाई
निवासी खेडेला, तहसील बदनोर,
जिला भीलवाड़ा।

बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी व
तहसीलदार, बदनोर जिला
भीलवाड़ा।

--अपीलार्थी

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :- प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 15.06.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, बदनोर जिला भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 13.05.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/- रुपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 52 एफ 388959 के साथ एक आवेदन दिनांक 28.03.2022 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, बदनोर को प्रेषित किया गया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।


प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी व तहसीलदार, बदनोर द्वारा उनके पत्रांक आर.टी.आई./2022/63 दिनांक 06.06.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं -

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन में चाही गयी सूचना/प्रमाणित प्रतिया प्रार्थिया को दिनांक 01.04.2022 एवं 03.06.2022 को अपीलार्थिया को उपलब्ध करा दी गई है जिसकी प्राप्ति रसीद अपीलार्थियां द्वारा स्वयं हस्ताक्षर कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 15.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।




(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा